कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी0 भी0 सी0 पटना–14)

Phone No- 0612-2225306/2221037 Fax No- 0612-2225306 Email-ID- dahopat@gmail.com

पत्रांक————————/

प्रेषक,

डा0 अरूण कुमार
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार,
पटना।

पटना–14, दिनांक———————/

विषय :– वर्ष 2024–25 में बाढ़/सुखाड़ आपदा हेतु सूखा चारा एवं गेहूँ चोकर क्रय करने के लिए दर अनुमोदन के लिए निविदा आमंत्रण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में कहना है कि जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संभावित बाढ़/सुखाड़ 2024 को ध्यान में रखते हुए पशु चारा यथा गेहूं भूसा, नेवारी कुट्टी, गेहूं चोकर का दर निर्धारण के लिए निविदा का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रो में करने हेतु निविदा का प्रारूप छः प्रति में एवं पेन ड्राइव (Soft Copy) इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। ज्ञातव्य हो की निविदा की कार्रवाई करने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय नई दिल्ली के पत्रांक 437/6/ES-1/BR-HP/2024 दिनांक- 12.04.2024 के द्वारा अनुमति प्राप्त है। तथा जिला पदाधिकारी पटना के द्वारा भी इस संबंध में संचिका पर अनुमति प्राप्त की गई है।

अतः अनुरोध है कि स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन कराने का कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– पेन ड्राइव
निविदा का प्रारूप – 6 प्रति।
अन्य अनुलग्नक –05 प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/–
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक :– .... पटना–14, दिनांक :– ..../

प्रतिलिपि :–अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, पटना सिटी/दानापुर/पशु शल्य चिकित्सक, बॉकीपुर/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, (चलन्त) पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना /विशेष उपनिदेशक (पशु विकास) वृहत पशु विकास परियोजना मुख्यालय स्तर पटना/चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुये कहना है कि संलग्न निविदा को अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर लगवाने की कृपा की जाय।

ह0/–
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– .... पटना–14, दिनांक :– ..../
प्रतिलिपि :– निदेशक पशुपालन बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना

ज्ञापांक :– 1219 पटना–14, दिनांक :– 04.05.24 /
प्रतिलिपि :–आई–टी मैनेजर, कम्प्युटर शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि इस पत्र के साथ संलग्न निविदा प्रारूप को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाय।

02/05/24
जिला पशुपालन पदाधिकारी,
पटना
04/05/24

कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी0भी0सी0पटना – 14)

Phone No – 0612-2225306/2221037 Fax No – 0612-2225306 Email – ID – dahopat@gmail.com

अल्पकालीन निविदा–सूचना

जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा संचिका पर दिये गये निदेश के आलोक में जिलान्तर्गत बाढ़ एवं सुखाड़ 2024 के सम्भावनाओं के मददे्नजर जिला अर्न्तगत आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए पशुचारा यथा–गेहूं भूसा, नेवारी कुट्टी एवं गेहूं चोकर के क्रय के लिए न्यूनतम दर निर्धारण हेतु प्रकाशन की तिथि से 14वें दिन तक के अपराह्न 3 बजे तक में द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आपूर्तिकर्ता से सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। अन्तिम तिथि तक प्राप्त निविदा को अगले कार्यदिवस के 11:00 बजे पूर्वाह्न में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में जिला स्तरीय क्रय समिति एवं निविदादाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा सूचना की विस्तृत शर्त्ते एवं विवरणी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट http//ahd.bih.nic.in पर एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना तथा निकटस्थ पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना से प्राप्त की जा सकती है।

5/04/24

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पटना।

<u>निविदा की शर्ते</u>

1. पटना जिलान्तर्गत संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ –2024 की पूर्व तैयारी के निमित पशु चारा के दर/आपुर्त्तिकर्त्ता के निर्धारण के लिए प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ता से निम्नांकित सामग्रियों के लिए सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

   क – भूसा (गेंहूँ का भूसा)
   ख – कुट्टी (नेवारी)
   ग – गेहूं चोकर

2. निविदादाताओं से उपरोक्त वर्णित पशु चारा हेतु निविदा सील बंद लिफाफा मे आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदा लिफाफा मे तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग सील बन्द लिफाफा रहना अनिवार्य होगा। संबंधित लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा" एवं "वित्तीय निविदा" अंकित कर इन दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट/रजीर्स्टड पोस्ट/हाथो–हाथ निविदा प्रकाशन की तिथि से 14वें दिन तक के 3 बजे अपराह्न तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदा प्राप्ति के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष निविदादाता की उपस्थिति मे जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कक्ष में खोला जाएगा। विधिवत रूप से प्राप्त सील बन्द निविदा पर ही विचार किया जायेगा।

3. तकनीकी निविदा में निविदादाता को विगत तीन वर्षो (2021–2022, 2022–23, 2023–2024) का सरकारी या अर्द्वसरकारी संस्थानों में पशु आहार आपूर्ति करने संबंधित क्रयादेश की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति, वर्ष 2021–2022, 2022–23, 2023–2024 का इन्कम टैक्स रिटर्न की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति, पैन कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा के साथ यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता किसी सरकारी या अर्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नही है एवं फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

4. तकनीकी निविदा में निविदादाता को 50,000 (पचास हजार) रूपये के अग्रधन की राशि (सुरक्षित जमा राशि) जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट (PAYBLE AT PATNA) जमा करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी, जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी संतोषजनक सामग्री आपूर्ति तक रोक कर रखी जायेगी। अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद देय नही होगा। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सामग्री आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में सुरक्षित जमा राशि को जब्त करने के साथ ही भुगतान पर रोक लगायी जा सकती है। केन्द्रीय/राज्य क्रय संगठन/राष्ट्रीय लघु उद्योग में निबंधित आपूर्तिकर्ता को सुरक्षित जमा राशि में छूट प्राप्त करने हेतु निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।

5. निविदादाता को निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पल पारदर्शी थैला में अपने नाम, पता एवं मोबाईल नं0 अंकित करते हुये देना अनिवार्य होगा।

6. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात/प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी समर्पित करना अनिवार्य होगा कि निविदादाता को इस निविदा में अंकित सभी शर्ते मान्य है।

7. तकनीकी निविदा प्रकाशन तिथि के 14 वें दिन के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाहन में जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना के कक्ष में जिला स्तर पर गठित तकनीकी निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें आपूर्तिकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का भाग लेना आवश्यक होगा। विभागीय तकनीकी निविदा समिति द्वारा इस निविदा में अंकित शर्तो के अर्न्तगत तकनीकी रूप से सक्षम पाये जानेवाले निविदादाताओं के वित्तीय निविदा खोलने हेतु अनुशंसा की जायेगी।

8. वित्तीय निविदा में निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित पशु चारा आपूर्ति करने हेतु पटना जिला अर्न्तगत सभी प्रखण्डों के लिए एक ही दर मान्य होगा, जिसमें परिवहन व्यय सम्मिलित रहेगा। वित्तीय निविदा में अंकित

उक्त दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नही होगा। निविदा में उक्त वर्णित पशु चारा के पैकिंग की विवरणी भी अंकित करना अनिवार्य होगा। सामग्री की आपूर्ति संबंधित अंचलाधिकारी को करनी होगी।

9. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदादाताओ का वित्तीय निविदा जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा समीक्षोपरान्त प्रत्येक सामग्री का दर निर्धारित करने की कार्रवाई की जायेगी। इसमें जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसके उपरान्त स्वीकृत निविदादाता को 3 दिनों के भीतर सभी विहित शर्तो के अर्न्तगत जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के उपरान्त संबंधित जिला पशुपलान पदाधिकारी से प्राप्त अधियाचना (INDENT) के आधार पर विहित शर्तो के अर्न्तगत 24 (चौबीस) घंटे के अन्दर आपूर्ति करनी होगी। निर्गत आपूर्ति आदेश के अनुपालन में पशु चारा ससमय संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेशित स्थान पर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित आपूर्तिकर्ता की होगी। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने पर दण्ड राशि (PENALTY) की वसूली करने के साथ–साथ काली सूची में दर्ज करने/वैधानिक कार्रवाई करने का जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना को अधिकार सुरक्षित रहेगा। आपूर्ति किये गये सामग्रियों के विरूद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता आपदा प्रबंधन, पटना द्वारा संगत मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के द्वारा किया जायेगा।
10. जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मान्य होगा।
11. जिला स्तर पर गठित क्रय समिति द्वारा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा पर जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा विशेष परिस्थिति में स्वीकृत दर पर एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है।
12. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला का निपटारा पटना स्थित न्यायालय के अर्न्तगत होगा।
13. आपूर्तिकर्ता को उनके द्वारा आपूर्ति की गई पशु चारा (नेवारी कुटटी/गेहूं भूसा) एवं गेहूं चोकर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र संबंधित अंचलाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी परिस्थति में सूखे चारा का दर स्थानीय बाजार से अधिक नही होना चाहिए, तत्सम्बन्धी शपथ पत्र आपूर्तिकर्ता को देना अनिवार्य होगा।

27/04/24

जिला पशुपालन पदाधिकरी
पटना।